BEHAVIOR ANALYST CERTIFICATION BOARD

(व्यवहार-विश्लेषक प्रमाणिकता परिषद)

व्यवहार-विश्लेषकों हेतु पेशेवर और नैतिकता संबंधी स्वीकृत नियमावली

बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) की व्यवहार-विश्लेषकों हेतु पेशेवर और नैतिकता संबंधी नियमावली ('नियमावली') में परिषद के पेशेवर अनुशासक और नैतिकता संबंधी मानकों के अद्यतन व प्रतिस्थापित रूपों का समेकन किया गया है और इसमें व्यवहार-विश्लेषकों के जिम्मेदार आचरण संबंधी दिशानिर्देशों को भी शामिल किया गया है। इस नियमावली में व्यवहार-विश्लेषकों के पेशेवर और नैतिक व्यवहार के संबंध में प्रसांगिक 10 खण्ड हैं, साथ ही इसमें विभिन्न पदों से संबंधित एक शब्दावली भी शामिल है। बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के सभी आवेदकों, प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ताओं और पंजीकृत सदस्यों के लिए इस नियमावली का अनुकरण प्रभावी रूप से जनवरी 1, 2016 से ज़रूरी होगा।

Disclaimer: This translation is offered as a general reference. Nuances in translation may impact the selection of terminology. The BACB does not warrant or guarantee the accuracy of translated versions of BACB documents.

व्यवहार-विश्लेषकों के लिए पेशेवर आचरण संबंधी दिशा-निर्देशों के मूल संस्करण में लेखक निम्न संस्थाओं की नैतिकता संबंधी नियमावली के प्रति आभारी है: अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल असोसिएशन, अमेरिकन एजूकेशनल रिसर्च असोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल असोसिएशन, अमेरिकन सोशोलॉजिकल असोसिएशन, कैलिफोर्निया असोसिएशन फॉर बिहैवियर एनालिसिस, फ्लोरिड़ा असोसिएशन फॉर बिहैवियर एनालिसिस, नेशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क'स, नेशनल असोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट और टेक्सास असोसिएशन फॉर बिहैवियर एनालिसिस। हम इन पेशेवर संस्थाओं के आभारी और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के साथ बहुत स्पष्ट प्रारूपों को उपलब्ध कराया, जिससे इस नियमावली का निर्माण किया गया है

बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के संचालक मंडल द्वारा अगस्त 7, 2014 को स्वीकृत।

© 2014, बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB), सर्वाधिकार सुरक्षित, संस्करण मार्च 21, 2016

इस नियमावली के किसी भी भाषिक संस्करण की व्याख्या को लेकर किसी भी तरह अस्पष्टता या विवाद उत्पन्न होता है, तब उस स्थिति में इस नियमावली के अंग्रेजी प्रारूप को ही आधार माना जाएगा।

विषयवस्तु

1.0 व्यवहार-विश्लेषकों का उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण

1.01 वैज्ञानिक ज्ञान पर विश्वास

1.02 सामर्थ्य की सीमाएं

1.03 पेशेवर विकास द्वारा योग्यता अनुपालन

1.04 अखण्डता/ ईमानदारी

1.05 पेशेवर और वैज्ञानिक संबंध

1.06 बहु-संबंध और हितों का टकराव

1.07 शोषक संबंध

2.0 मुवक्किल के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की जिम्मेदारी

2.01 मुवक्किल का स्वीकार

2.02 जिम्मेदारी

2.03 परामर्श

2.04 सेवाओं में तीसरे पक्ष का शामिल होना

2.05 मुवक्किल के अधिकार व विशेषाधिकार

2.06 गोपनीयता

2.07 अभिलेख निर्माण

2.08 प्रकटीकरण

2.09 उपचार/ हस्तक्षेप की प्रभाविकता

2.10 पेशेवर कार्यों और शोध कार्य का दस्तावेजीकरण

2.12 संविदा, शुल्क और वित्तीय समझौता

2.13 वित्तीय लेन-देन में परिशुद्धता

2.14 परामर्श हेतु अग्रसारण और शुल्क

2.15 सेवाओं में बाधा या उन्हें समाप्त करना

3.0 व्यवहार निर्धारण/ मूल्यांकन

3.01 व्यवहार-विश्लेषण मूल्यांकन

3.02 चिकित्सकीय परामर्श

3.03 व्यवहार-विश्लेषण मूल्यांकन सम्मति

3.04 मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या

3.05 मुवक्किल की सहमति का दस्तावेजीकरण

4.0 व्यवहार-विश्लेषण और व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम

4.01 अवधारणात्मक निरंतरता

4.02 योजना और सहमति में मुवक्किल का समावेश और सहमति

4.03 व्यक्ति-विशेषीकृत व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम

4.04 व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम का अनुमोदन

4.05 व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम के लक्ष्यों की व्याख्या

4.06 व्यवहार-विश्लेषण कार्यक्रम की सफलता हेतु व्याख्यात्मक स्थितियां

4.07 कार्यक्रम कार्यांवयन में बाधक पर्यावरणिक स्थितियां

4.08 दण्ड प्रक्रियाओं के विषय में विचार

4.09 न्यूनतम् प्रतिबंधित प्रक्रियाएं

4.10 हानिकारक प्रबलताओं से परिहार (बचना)

4.11 व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम और व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं की समाप्ति

5.0 पर्यवेक्षकों के रूप में व्यवहार-विश्लेषक

5.01 पर्यवेक्षणीय योग्यता

5.02 पर्यवेक्षी संख्या

5.03 पर्यवेक्षी प्रतिनिधिमंडल

5.04 प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण का प्रारूपीकरण

5.05 पर्यवेक्षी परिस्थितियों के बारे सूचना

5.06 पर्यवेक्षियों को प्रतिक्रिया (Feedback) विकल्प की उपलब्धता

5.07 पर्यवेक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन

6.0 व्यवहार-विश्लेषण के पेशे के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की नैतिक जिम्मेदारी

6.01 सिद्धांतों की पुष्टि

6.02 व्यवहार-विश्लेषण का प्रसार

7.0 व्यवहार-विश्लेषक की अपने सहयोगियों के प्रति जिम्मेदारी

7.01 नैतिक संस्कृति का संवर्द्धन

7.02 दूसरों के द्वारा नैतिक मूल्यों का उल्लंघन और क्षति पहुंचने का ख़तरा

8.0 सार्वजनिक बयान

8.01 झूठे व भ्रामक बयानों का परिहार

8.02 बौद्धिक संपदा

8.03 दूसरों के बयान

8.04 मीडिया मे प्रस्तुति और मीडिया आधारित सेवाएं

8.05 अनुशंसा और विज्ञापन

8.06 वैयक्तिक निवेदन

9.0 व्यवहार-विश्लेषण और शोध

9.01 विधि और विनियमों की अभिपुष्टि

9.02 उत्तरदायी शोध की विशेषताएं

9.03 सहमति अनुज्ञा

9.04 उपदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए गोपनीय जानकारी का प्रयोग

9.05 लघु साक्षात्कार (Debriefing)

9.06 अनुदान व पत्रिका (जर्नल) समीक्षा

9.07 बौद्धिक चोरी (Plagiarism)

9.08 योगदान स्वीकरण

9.09 आँकड़ों की शुद्धता और इनका प्रयोग

10.0 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की नैतिक जिम्मेदारी

10.01 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को सत्य व परिशुद्ध जानकारी उपलब्ध कराना

10.02 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को समयबद्ध प्रतिक्रिया, रिपोर्ट और सूचनाओं के अद्यतन रूप से सूचित करना

10.03 गोपनीयता और बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) बौद्धिक संपदा

10.04 परीक्षागत ईमानदारी और अनियमितता

10.05 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) पर्यवेक्षण और पाठ्यकार्य मानकों का अनुपालन

10.06 इस नियमावली से सुपरिचय

10.07 ग़ैर-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा मिथ्या-निरूपण को हतोत्साहित करना

1.0 व्यवहार-विश्लेषकों का उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण

व्यवहार-विश्लेषक पेशेवर आचरण के उच्च मानकों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं।

1.01 वैज्ञानिक ज्ञान पर विश्वास

व्यवहार-विश्लेषक मानवीय सेवा के संदर्भ में वैज्ञानिक या पेशेवर निर्णय लेते वक़्त अथवा बौद्धिक या पेशेवर उद्यमों में शामिल होने की स्थिति में विज्ञान और व्यवहार-विश्लेषण द्वारा पेशेवर तरीके से प्राप्त ज्ञान पर विश्वास करते हैं।

1.02 सामर्थ्य की सीमाएं

(क) सभी व्यवहार-विश्लेषक अपनी सेवाएं, अध्यापन और शोधकार्य केवल अपनी योग्यता या सामर्थ्य की उन सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही प्रदान करते हैं, जो उनके अध्ययन, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के उनके अनुभव की सीमाओं में हैं।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक नए क्षेत्रों (उदाहरणस्वरूप- जनसांख्यिकी, तकनीक, व्यवहार) में सेवाओं, अध्यापन या शोध कार्यों को करने से पहले इन क्षेत्रों में अपने समुचित अध्ययन, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और/ या इन क्षेत्रों में पारंगत व्यक्ति से परामर्श प्राप्त करता है।

1.03 पेशेवर विकास द्वारा योग्यता अनुपालन

व्यवहार-विश्लेषक अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और पेशेवर जानकारियों से अद्यतन रहते हैं और उचित सामग्री के अध्ययन से, संगोष्ठियों व सम्मेलनों में उपस्थित रहकर, कार्यशालाओं में भागीदारी करके, अतिरिक्त पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके और/ या समुचित पेशेवर प्रत्यापकों को प्राप्त करके अपनी प्रवीणता को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं।

1.04 अखण्डता/ ईमानदारी

(क) व्यवहार-विश्लेषक सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं और इस तरह के माहौल को निर्मित करते हैं कि जिससे दूसरों को सच्चे और ईमानदार व्यवहार के लिए प्रेरणा मिले।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक किसी भी तरह का अनिश्चिततापूर्ण या कदाचारपूर्ण आचरण नहीं करते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए कपटपूर्ण, अवैध, या अनैतिक आचरण का कारक बने।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य के प्रति बाध्य होने के साथ संविदापूर्ण और पेशेवर प्रतिबद्धता के प्रति भी प्रतिबद्ध होते हैं। इसके साथ में वे स्वयं को उन चीज़ों से पूरी तरह अलग रखते हैं, जिसके कारण उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता में बाधा पहुंचती हो।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक का आचरण उस सामाजिक और पेशेवर समुदाय के विधिक और नैतिक आचरण के अनुकूल होगा, जिसके वे सदस्य हैं। (इसके अलावा 10.02 क में दर्ज नियम 'बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को समयबद्ध प्रतिक्रिया, रिपोर्ट और सूचनाओं के अद्यतन रूप से सूचित करना' को भी देखें)

(ड.) यदि व्यवहार-विश्लेषक के लिए निर्धारित नैतिक जिम्मेदारी का उस संस्था के नियमों या उसकी किसी भी नीति के बीच कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे वह संबद्ध है, तब उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक इस नियमावली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखता है और नियमों के दायरे में रहते हुए उत्पन्न हुए विरोधाभास या संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करता है।

1.05 पेशेवर और वैज्ञानिक संबंध

(क) व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-विश्लेषण संबंधी सेवाएं केवल निर्धारित, पेशेवर या वैज्ञानिक संबंध या भूमिका के संदर्भ में ही प्रदान करता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषण संबंधी सेवाएं देते वक़्त व्यवहार-विश्लेषक उसी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो भाषा व्यवहार-विश्लेषण संबंधी सेवाओं के प्राप्तकर्ता को पूरी तरह से समझ में आती हो, साथ ही यह भाषा व्यवहार-विश्लेषण के पेशे के साथ अवधारणात्मक

रूप से व्यवस्थित हो। व्यवहार-विश्लेषण सेवाएं प्रदान करने से पहले व्यवहार-विश्लेषक इन सेवाओं की प्रकृति के बारे में और बाद में इन सेवाओं के परिणामों और निष्कर्षों के बारे में सेवाओं के प्राप्तकर्ता को समुचित जानकारी प्रदान करता है।

(ग) किसी खास व्यक्तियों या समूह से संबंधित व्यवहार-विश्लेषण का कार्य जहां उम्र, लिंग, नस्ल, संस्कृति, जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, लैंगिक रुझान, अशक्तता, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्थिति में भिन्नता के कारण प्रभावित होता है, तब उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक प्रशिक्षण, अनुभव, परामर्श और/ या पर्यवेक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करता है, जिससे वह अपनी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित कर पाए या वह अग्र-परामर्श हेतु उचित रूप में संप्रेषण (रेफर) कर पाए।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक अपनी कार्य-संबंधी गतिविधियों में उम्र, लिंग, नस्ल, संस्कृति, जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, लैंगिक रुझान, अशक्तता, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर या क़ानूनी रूप से निषिद्ध किसी भी आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं करता है।

(ड.) नियमानुसार व्यवहार-विश्लेषक जानबूझकर उम्र, लिंग, नस्ल, संस्कृति, जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, लैंगिक रुझान, अशक्तता, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्थिति में भिन्नता के कारण उन व्यक्तियों से ऐसा व्यवहार नहीं करता है, जो उन व्यक्तियों के लिए उत्पीड़क हो या उनकी गरिमा को कम करता हो, जिनसे वे कार्य के संबंध में संवाद करते हैं।

(च) व्यवहार-विश्लेषक यह स्वीकार करते हैं कि उनकी अपनी वैयक्तिक समस्याएं और संघर्ष उनकी कार्यात्मक प्रभाविकता को प्रभावित कर सकती हैं। व्यवहार-विश्लेषक उस समय स्वयं को सेवाएं देने से पृथक रखते हैं, जब उनकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उनकी वैयक्तिक परिस्थितियों के कारण सेवाएं प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रही हों।

1.06 बहु-संबंध और हितों का टकराव

(क) स्वाभाविक तौर पर बहु-संबंधों के हानिकारक प्रभाव के कारण व्यवहार-विश्लेषकों को बहु-संबंधों से बचना चाहिए।

(ख) व्यवहार-विश्लेषकों को हमेशा बहु-संबंधों के हानिकर परिणामों के प्रति स्वाभाविक तौर पर सचेत रहना चाहिए। यदि किन्हीं अनजाने कारकों के कारण व्यवहार-विश्लेषक को पता चलता है कि बहु-संबंधों की स्थिति निर्मित हो रही है, उस स्थिति में वे इस परिस्थिति के निराकरण का प्रयास करते हैं।

(ग) व्यवहार-विश्लेषकों को बहु-संबंधों के हानिकर प्रभावों को स्वीकार करता है और अपने मुवक्किलों व अपने पर्यवेक्षियों को बहु-संबंधों के हानिकर प्रभावों के बारे में सूचित करता है।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक अपने मुवक्किलों से न तो किसी प्रकार का उपहार प्राप्त करता है, न ही कोई उपहार देता है क्योंकि यह कार्य बहु-संबंधों का निर्माण करता है।

1.07 शोषक संबंध

(क) व्यवहार-विश्लेषक उन व्यक्तियों का शोषण नहीं करते हैं, जिनका वे निरीक्षण मूल्यांकन करते हैं, साथ ही वे छात्रों, पर्यवेक्षियों, कर्मचारियों, शोध कार्यों में भागीदारों और मुवक्किल का भी शोषण नहीं करते हैं।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक अपने मुवक्किलों, छात्रों या पर्यवेक्षियों के साथ यौन संबंधों नहीं रखते हैं क्योंकि इस तरह के संबंध निर्णयों को आसानी से दुर्बल/ क्षीण कर देते हैं या ये संबंध आसानी से शोषक संबंधों में तब्दील हो जाते हैं।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक स्वयं को अपने मुवक्किलों, छात्रों या पर्यवेक्षियों के साथ औपचारिक रूप से अपने पेशेवर संबंध की समाप्ति तिथि से 2 वर्षों बाद तक यौन संबंधों से दूर रहते हैं।

(द) व्यवहार-विश्लेषक सेवाओं के लिए तब तक लेन-देन नहीं करते हैं, जब तक अदला-बदली के लिए कोई लिखित समझौता न हो, जिसके लिए (i) मुवक्किल या पर्यवेक्षी द्वारा अनुरोध किया जाता है; (ii) ऐसा उस क्षेत्र विशेष में प्रचलन में हो, जहां सेवाएं प्रदान की जानी हैं; और (iii) प्रदान की जा रही व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं के मूल्यों के साथ उचित व अनुरूप हो।

2.0 मुवक्किल के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की जिम्मेदारी

व्यवहार-विश्लेषक की जिम्मेदारी है कि वे अपने मुवक्किलों के बेहतर हित को ध्यान में रखकर अपनी सेवाओं/ गतिविधियों का संचालन करें।यहां मुवक्किल (Client) शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया गया है और इसमें वे सभी लोग शामिल हैं, जिन्हें व्यवहार-विश्लेषक अपनी सेवाएं प्रदान करता है, मुवक्किल (Client) के दायरे में एकक व्यक्ति (सेवा प्राप्तकर्ता), सेवा प्राप्तकर्ता के अभिवावक या माता-पिता, संस्था का प्रतिनिधि, निजी या सार्वजनिक संस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निगम सभी आते हैं।

2.01 मुवक्किल का स्वीकार

व्यवहार-विश्लेषक मुवक्किल के रूप में केवल उन लोगों को स्वीकार करते हैं, जिनके द्वारा प्रार्थित सेवाएं व्यवहार-विश्लेषक की शिक्षा, अनुभव, उपलब्ध संसाधनों और संस्थागत नीतियों के अनुरूप हैं। इन स्थितियों की ग़ैर-मौजूदगी में व्यवहार-विश्लेषक को किसी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत या उस एक व्यवहार-विश्लेषक के साथ सलाह-मशविरा करके काम करना चाहिए, जिसके पास संदर्भित किस्म की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रत्यापक हैं।

2.02 जिम्मेदारी

व्यवहार-विश्लेषक की व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं से प्रभावित सभी पक्षों के प्रति जिम्मेदारी होती है। जब कई सारे पक्षों की मौजूदगी हो और उन्हें मुवक्किल के रूप में परिभाषित किया जा सकता हो, उस स्थिति में सभी पक्षों के उच्चावच्च क्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए और संबंधों के आरंभ में ही इस तथ्य से सभी को सूचित कर देना चाहिए।व्यवहार-विश्लेषक को इस तथ्य की पहचान करने के साथ यह बतलाना चाहिए कि मौजूदा परिस्थितियों में प्राथमिक रूप से सेवा प्राप्तकर्ता कौन है और उस व्यक्ति के हितों का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए।

2.03 परामर्श

(क) व्यवहार-विश्लेषक समुचित परामर्श की व्यवस्था करता है और सैद्धांतिक रूप से मुवक्किल के बेहतर हित में मुवक्किल की सहमति के आधार पर उसे अग्रसारित (Refer) करता है, इसके साथ में व्यवहार-विश्लेषक दूसरी प्रसांगिक स्थितियों, प्रचलित क़ानूनों और संविदागत बाध्यताओं को भी ध्यान में रखता है।

(ख) जब प्रतीत हो और पेशेवर तरीके से उचित हो, व्यवहार-विश्लेषक दूसरे पेशेवरों के साथ इस तरीके से सहयोग करेगा, जो व्यवहार-विश्लेषण के दार्शनिक पूर्वानुमानों और सिद्धांतों के अनुरूप हो और जिससे वह अपने मुवक्किल को प्रभावी व समुचित तरीके से सेवा प्रदान कर पाए।

2.04 सेवाओं में तीसरे पक्ष का शामिल होना

(क) उस स्थिति में जब किसी तीसरे पक्ष के अनुरोध पर किसी व्यक्ति या अस्तित्विक इकाई को सेवा प्रदान करने के लिए व्यवहार-विश्लेषक सहमत होता है, तब व्यवहार्यता विस्तार हेतु और सेवाओं के आरंभ में ही, व्यवहार-विश्लेषक प्रत्तेक पक्ष के समक्ष संबंधों की प्रकृति के साथ किसी भी संभाव्य अंतर्संघर्ष की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। इस स्पष्टीकरण में व्यवहार-विश्लेषक की भूमिका (जैसे चिकित्सक, संस्थागत सलाहकार या साक्षी-विश्लेषक), प्रदत्त सेवाओं या प्राप्त सूचनाओं के संभाव्य प्रयोग के साथ गोपनीयता की सीमाओं के बारे में तथ्यपरकता शामिल है।

(ख) तीसरे पक्ष के शामिल होने के कारण यदि संघर्षपूर्ण भूमिकाओं को अंजाम देने के लिए व्यवहार-विश्लेषक को आमंत्रित किए जाने का संभाव्य जोखिम मौजूद हो, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक अपनी जिम्मेदारियों की प्रकृति और मार्गदर्शन को स्पष्ट कर देता है, परिस्थितियों में जैसे-जैसे बदलाव होता जाता है, व्यवहार-विश्लेषक सभी पक्षों को इसके बारे में समुचित जानकारी देता है और इस नियमावली के अनुरूप ही स्थितियों को हल करता है।

(ग) जब किसी तीसरे पक्ष के अनुरोध पर किसी अवयस्क या संरक्षित समुदाय (आबादी) के सदस्य को सेवा प्रदान की जाए, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक सुनिश्चित रूप से सेवाप्राप्तकर्ता के अभिवावक या मुवक्किल के प्रतिस्थानापन्न व्यक्ति को प्रदत्त सेवाओं की

प्रकृति के बारे में और इन सेवाओं से संबंधित सभी दस्तावेजों और सूचनाओं (डाटा) पर उनके अधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करता है।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक अपने मुवक्किल की देखभाल को अधिकतम वरीयता देता है। तीसरे पक्ष की अनुसंशाएं व्यवहार-विश्लेषक की अनुशंसाओं के बीच अंतर्विरोध उत्पन्न हो, तब उस स्थिति में यह व्यवहार-विश्लेषक की जिम्मेदारी है कि वह मुवक्किल के उचित हित को ध्यान में रखते हुए इन अंतर्विरोधों का हल निकालें। यदि इस तरह का अंतर्विरोध हल नहीं हो पाता है, उस स्थिति में पूर्वोक्त संक्रमण के लिए मुवक्किल के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

2.05 मुवक्किल के अधिकार व विशेषाधिकार

(क) मुवक्किल के अधिकार सर्वोपरि हैं और व्यवहार-विश्लेषक मुवक्किल के विधिक अधिकारों व विशेषाधिकारों का समर्थन करता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक को मुवक्किल और पर्यवेक्षाधीन व्यक्ति के अनुरोध पर उनसे संबंधित दस्तावेजों/ प्रत्यापकों के बिल्कुल सही व नवीनतम समुचच्य (Set) को अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए।

(ग) साक्षात्कारों और सेवा प्रदान सत्रों की इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग की अनुमति को सभी सापेक्षिक स्थितियों में मुवक्किलों और संदर्भित कर्मचारियों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके दूसरे भिन्न प्रयोगों हेतु मुवक्किल से सहमति अलग से और विशेष रूप में अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

(घ) मुवक्किलों और पर्यावेक्षाधीनों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए, साथ ही उन्हें व्यवहार-विश्लेषकों की पेशेवर आदतों या व्यवहार के ख़िलाफ शिकायत दर्ज करने के तरीकों के बारे में भी सूचना देनी चाहिए। इसके साथ मुवक्किल को नियोक्ताओं , उचित अधिकारियों और बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।

(ङ) व्यवहार-विश्लेषक आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए हर एक ज़रूरत का अनुपालन करता है।

2.06 गोपनीयता [RBT]

(क) व्यवहार-विश्लेषक पर उन लोगों की गोपनीयता बनाए रखने के साथ इस गोपनीयता को सुरक्षित रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिनके साथ वे काम करते या जिन्हें वे परामर्श देते हैं। गोपनीयता के यह नियम विधि द्वारा, संस्थागत नियमों द्वारा या पेशेवर या वैज्ञानिक संबंधों द्वारा स्थापित किए गए हो सकते हैं।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक संबंधों के आरंभ में ही गोपनीयता के बारे में चर्चा करता है और इसके बाद यदि नए किस्म की स्थितियां उत्पन्न होती है, तब वह उन स्थितियों के बारे में भी सचेत कर सकता है।

(ग) निजता में अनाधिकार हस्तक्षेप की स्थिति को न्यूनतम करने के लिए व्यवहार-विश्लेषक उद्देश्यिक रूप से केवल सुसंगत सूचना को उस उद्देश्य के लिए शामिल करता है, जिसके लिए वह लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट या दूसरे तरीकों से संवाद को कार्यरूप देता है।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक चिकित्सकीय या परामर्शदात्री संबंधों के जरिए प्राप्त गोपनीय सूचनाएं या मुवक्किलों, छात्रों, शोध भागीदारों, पर्यवेक्षियों और कर्मचारियों से संबंधित आँकड़ों का मूल्यांकन केवल उचित वैज्ञानिक या पेशेवर उद्देश्यों के लिए करता है और वह यह कार्य उन लोगों के साथ ही करता है, जिनका इस तरह के मामलों के साथ संबंध है।

(ङ) व्यवहार-विश्लेषक को सोशल मीडिया में ऐसी कोई भी जानकारी या चीज़ नहीं साझा करनी चाहिए जिससे उसके मौजूदा मुवक्किल या पर्यवेक्षियों की पहचान उजागर हो, साथ ही उसे ऐसी स्थिति भी नहीं पैदा करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उसे कोई पहचानपरक सूचना (लिखित, फोटो या वीडियो) को साझा करना पडे।

2.07 अभिलेख निर्माण

(क) व्यवहार-विश्लेषक अपने नियंत्रण में अभिलेखों, जो लिखित, स्वाचालित (Automated), इलेक्ट्रानिक या दूसरे किसी भी रूप में हो सकते हैं, के निर्माण, भंडारण, प्राप्ति, स्थानांतरण और समाप्ति के मामले में समुचित गोपनीयता बरतता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक प्रचलित क़ानूनों, विनियमों, कार्पोरेट नीतियों और संस्थागत नीतियों के अनुरूप ही और उस तरीके से ही अभिलेखों का निर्माण, रखरखाव और इन अभिलेखों की समाप्ति (नष्ट) करता है, जिसकी यह नियमावली अनुमति देती है।

2.08 प्रकटीकरण

व्यवहार-विश्लेषक अपने मुवक्किल की अनुमति के बिना किसी भी गोपनीय जानकारी को कभी नहीं प्रकट करता है, हॉलाकि विधि द्वारा आदेश मिलने पर या किसी उचित उद्देश्य के लिए ये विधि सम्मत स्थितियां अपवाद हैं, जैसे- (i) मुवक्किल को पेशेवर सेवाएं प्रदान करना, (ii) समुचित पेशेवर परामर्श प्राप्त करना, (iii) मुवक्किल या दूसरों को हानि पहुंचने से संरक्षित करना, या (iv) सेवाओं के लिए पाराश्रमिक प्राप्त करना, लेकिन इस स्थिति में केवल उतनी ही न्यूनतम जानकारी साझा की जाए, जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। व्यवहार-विश्लेषक इस तथ्य को स्वीकार करता है कि किसी भी परिभाषित संबंध के प्रारंभ में और पेशेवर संबंध की पूरी अवधि में चालू प्रक्रियाओं के दौरान सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए प्राप्त सहमति के मानकों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.09 उपचार/ हस्तक्षेप की प्रभाविकता

(क) प्रभावी उपचार (यह शोधपरक साहित्य और व्यक्तिगत स्तर पर मुवक्किल की ग्रहणशीलता पर निर्भर होता है) मुवक्किल का अधिकार है। व्यवहार-विश्लेषक की यह जिम्मेदारी है कि मुवक्किल को वैज्ञानिक रूप से समर्थित, अधिक प्रभावी उपचार पद्धतियों के बारे में शिक्षित करे और इस तरीके की वकालत करे। प्रभावी उपचार पद्धतियां मुवक्किल और समाज के दीर्घकालिक और अल्पावधिक, दोनों ही तरह के लाभों हेतु अभिपुष्ट हैं।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक की यह जिम्मेदारी है कि वह व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम के परिभाषित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवाओं और निरीक्षण की उचित मात्रा और स्तर की हिमायत करे।

(ग) उन स्थितियों में जब वैज्ञानिक रूप से समर्थित दो उपचार एक साथ दिए जा रहे हों, कुछ खास चुनिंदा हस्तक्षेपों में अतिरिक्त कारकों, जैसे हस्तक्षेप की प्रभाविकता और मूल्य-प्रभाविकता, ख़तरा और पार्श्व-प्रभाव (Side Effect), मुवक्किल की वरीयता और अभ्यासक के अनुभव और प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए ये कारक पूर्वोक्त तक ही सीमित नहीं हैं।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक उस किसी भी उपचार की प्रभाविकता की समीक्षा करने के साथ इसकी सूचना भी देता है, जिसके प्रति वे सचेत हैं कि इसका प्रभाव व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के लक्ष्यों पर भी पड़ सकता है और इसकी संभावनाएं विस्तारित करते हुए व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम पर भी संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

2.10 पेशेवर कार्यों और शोध कार्य का दस्तावेजीकरण

(क) व्यवहार-विश्लेषक तथा संगठन या दूसरी क़ानूनी ज़रूरतों को पूरी कर सकने हेतु अपने कार्यों को इस रूप में दस्तावेजीकृत करते हैं कि बाद में उन्हें या दूसरे पेशेवरों को सेवाओं के प्रावधानों की क्रमानुक्रमता आसानी से समझ में आ पाए।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक की यह जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेजों को इस तरीके व गुणवत्ता से निर्मित व व्यवस्थित करे कि वे श्रेष्ठ परंपराओं और क़ानून के अनुरूप हों।

2.11 अभिलेख व आँकड़े

(क) व्यवहार-विश्लेषक प्रचलित क़ानून, नियम और नीतियों के अनुरूप अपने शोध कार्य, अभ्यास (परामर्श) और दूसरे कार्यों से संबंधित दस्तावेजों और आँकड़ों का निर्माण, उनका रख-रखाव, प्रसारण, सुरक्षा और उनके निपटान (नष्ट करने) का कार्य करते हैं; यह कार्य वे इस तरह से करते हैं कि जिसके लिए उन्हें विधि द्वारा अनुमति प्राप्त है; और इस तरह से भी कि किसी भी समय सेवाओं का उचित स्थानांतरण हो पाए।

(ख) व्यवहार-विश्लेषकों को कम से कम 7 वर्षों तक या कि क़ानूनी ज़रूरतों के मुताबिक अभिलेखों और आँकड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए।

2.12 संविदा, शुल्क और वित्तीय समझौता

(क) सेवाओं के कार्यांवयन से पूर्व व्यवहार-विश्लेषक को एक हस्ताक्षरित समझौते की मौजूदगी को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें सभी पक्षों की जिम्मेदारियों की रूपरेखा हो, प्रदत्त होने वाली व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं की व्याप्ति का उल्लेख हो और इस नियमावली के अनुरूप व्यवहार-विश्लेषक की जिम्मेदारियों का उल्लेख हो।

(ख) किसी भी पेशेवर या वैज्ञानिक संबंध में जितनी जल्दी संभव हो उतनी ही जल्दी व्यवहार-विश्लेषक को अपने मुवक्किल के साथ अपने पराश्रमिक या मानदेय और पराश्रमिक या मानदेय की व्यवस्था के विषय में एक समझौते पर पहुंच जाना चाहिए।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक की शुल्क पद्धतियां विधि सम्मत होती हैं और व्यवहार-विश्लेषक अपने शुल्क को ग़लत तरीके से नहीं प्रस्तुत करता है। यदि वित्त के अभाव में सेवाओं में कटौती की स्थिति उत्पन्न हो, उस स्थिति में जितनी जल्द संभव हो, उतनी ही जल्द इस मामले की मुवक्किल के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

(घ) ऐसी स्थिति में जब वित्तीय परिस्थितियां परिवर्तित हों, उस स्थिति में वित्तीय जिम्मेदारियों और सीमाओं से मुवक्किल को अवश्य परिचित कराना चाहिए।

2.13 वित्तीय लेन-देन में परिशुद्धता

व्यवहार-विश्लेषक प्रदत्त सेवाओं की प्रकृति के बारे में, शुल्कों या अधिशुल्कों, सेवा प्रदाता की पहचान, प्रसांगिक परिणाम और दूसरी ज़रूरी सूचनाओं को बिल्कुल परिशुद्ध रूप में बताता है।

2.14 परामर्श हेतु अग्रसारण और शुल्क

किसी पेशेवर परामर्शदाता के पास भेजने के लिए व्यवहार-विश्लेषक को धन, उपहार या दूसरी चीज़ें न तो स्वीकार करनी चाहिए, न ही देनी चाहिए। मुवक्किल को परामर्श के लिए अग्रसारित करने या भेजने की सलाह में कई सारे विकल्प शामिल होने चाहिए और इस संदर्भ में मुवक्किल की ज़रूरत और परामर्श के लिए प्रस्तावित लोगों के बीच समुचित संरेखण वस्तुनिष्ठ स्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। व्यवहार-विश्लेषक जब अग्रसारित (भेजे हुए) मुवक्किल को प्राप्त करता है या भेजता है, वहां दोनों ही पक्षों के बीच विस्तारित संबंध को मुवक्किल के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए।

2.15 सेवाओं में बाधा या उन्हें समाप्त करना

(क) सेवाओं में बाधा या अवरोध से बचते हुए व्यवहार-विश्लेषक मुवक्किल व पर्यवेक्षियों के बेहतर हित में कार्य करता है।

(ख) किसी अनियोजित अवरोधक (जैसे बीमारी, हानि, ग़ैर-मौजूदगी, स्थान तब्दीली, वित्त में अवरोध, विध्वंस) की स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-विश्लेषणपरक सेवाओं को तार्किक व उचित तरीके से पुनः आरंभ करने का प्रयास करता है।

(ग) रोजगारपरक या संविदापरक संबंध में प्रवेश करने की स्थिति में पूर्ववर्ती रोजगार या संविदा संबंध खत्म होने के कारण जिन सेवाओं का अंत होने की संभावना हो, उनके विषय में व्यवहार-विश्लेषक वरीयतापूर्ण व उपयुक्त हल निकालता है, जिसमें वह सेवाप्राप्तकर्ता के सर्वोच्य हित को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखता है।

(घ) संक्रमण के प्रयास के बाद ही सेवाओं की समाप्ति की जानी चाहिए। व्यवहार-विश्लेषक उस स्थिति में मुवक्किल के साथ समयबद्ध तरीके से पेशेवर संबंधों को समाप्त करता है, जब (i) सेवाओं की और अधिक ज़रूरत न हो, (ii) सेवाओं से कोई लाभ न हो रहा हो, (iii) सेवाओं को जारी रखने से नुकसान हो रहा हो, या (iv) जब मुवक्किल सेवाओं को बंद करने का अनुरोध करे। (इसके साथ नियम 4.11 में दर्ज 'व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम और व्यवहार-विश्लेषण कार्यक्रम की समाप्ति' को भी जरुर देखें)

(ङ) व्यवहार-विश्लेषक मुवक्किलों और पर्यवेक्षियों को परित्यक्त स्थिति में नहीं छोड़ता है। किसी भी कारण से सेवा समाप्ति की स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक निम्न कार्यों को अंजाम देता है: ज़रूरी आवश्यक सेवाओं की चर्चा, सेवा समाप्ति से पूर्व-उपचार सेवाएं, समुचित रूप से वैकल्पिक सेवा-प्रदाताओं के लिए सलाह, और मुवक्किल की सहमति से उन दूसरे कार्यों को अंजाम देना, जिससे समयबद्ध तरीके से दूसरे सेवा-प्रदाता को जिम्मेदारी स्थानांतरित हो पाए।

3.0 व्यवहार निर्धारण/ मूल्यांकन

व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार निर्धारण/ मूल्यांकन के लिए व्यवहार-विश्लेषण निर्धारण/मूल्यांकन की उस तकनीक का प्रयोग करता है, जो कि नवीनतम शोध के द्वारा उपयुक्त निर्धारित हुई है।

3.01 व्यवहार-विश्लेषण मूल्यांकन

(क) व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के विषय में किसी भी तरह की अनुशंसा करने या इस कार्यक्रम को विकसित (अग्रगामी) करने से पूर्व वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का तरीका मुवक्किल की ज़रूरत और सहमति के साथ पारिस्थितिक मानकों और दूसरे संदर्भित कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित होता है। जब व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-नियंत्रण कार्यक्रम का विकास करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें पहले कार्यात्मक मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक की यह जिम्मेदारी है कि वह व्यवहार-विश्लेषण की पद्धतियों के अनुरूप आँकड़ों को इस प्रकार एकत्र करे और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करे कि जो व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम विकास में निर्णय व अनुशंसा करने में सहायता करे।

3.02 चिकित्सकीय परामर्श

व्यवहार-विश्लेषक उस स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने की अनुशंसा करता है, जहां संदर्भित व्यवहार के चिकित्सकीय या जैव-विज्ञानी कारकों से प्रभावित होने की तार्किक संभावना हो।

3.03 व्यवहार-विश्लेषण मूल्यांकन सम्मति

(क) मूल्यांकन शुरू करने से पहले व्यवहार-विश्लेषक को मुवक्किल को स्पष्ट बताना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रक्रियाएं प्रयोग की जाएंगी, इसमें कौन भागीदार होगा और परिणाम के रूप में प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक मूल्यांकन प्रक्रियाओं को शुरू करने से पहले इसमें प्रयुक्त होने वाली मूल्यांकन पद्धतियों के विषय में मुवक्किल से लिखित सहमति ले लेनी चाहिए।

3.04 मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या

व्यवहार-विश्लेषक मूल्यांकन परिणामों को उस भाषा में और आँकड़ों को चित्रात्मक प्रदर्शन के द्वारा मुवक्किल को समझाएगा, जो मुवक्किल को तार्किक रूप से समझ में आती है।

3.05 मुवक्किल की सहमति का दस्तावेजीकरण

मूल्यांकन के उद्देश्य से मुवक्किल से या दूसरे स्रोतों से मुवक्किल के दस्तावेजों को प्राप्त करने या उन्हें प्रकट करने से पहले व्यवहार-विश्लेषक मुवक्किल से लिखित सहमति प्राप्त करता है।

4.0 व्यवहार-विश्लेषण और व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम

व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम की अवधारणा से लेकर उसे लागू करने तक और सर्वोच्य रूप से इसे बंद करने तक व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम के हर एक पक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है।

4.01 अवधारणात्मक निरंतरता

व्यवहार-विश्लेषक द्वारा प्रारूपित व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम व्यवहार-विश्लेषण सिद्धांतों की अवधारणात्मक निरंतरता में होता है।

4.02 योजना और सहमति में मुवक्किल का समावेश और सहमति

व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम की योजना निर्माण में मुवक्किल को शामिल करता है और सहमति प्राप्त करता है।

4.03 व्यक्ति-विशेषीकृत व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम

(क) व्यवहार-विश्लेषक को अपने हर एक मुवक्किल के विशिष्ट व्यवहार, पर्यावरणिक विविधताओं, परिणाम मूल्यांकन और लक्ष्यों के अनुरूप व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक दूसरे पेशेवर व्यवहार-विश्लेषकों के व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रमों का भावहरण (चोरी) (Plagiarize) नहीं करता है।

4.04 व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम का अनुमोदन

व्यवहार-विश्लेषक को व्यवहार-विश्लेषण कार्यक्रम को लागू करने से पहले या इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन (जैसे लक्ष्य में परिवर्तन, नई प्रक्रियाओं का प्रयोग) करने से पूर्व अपने मुवक्किल की लिखित सहमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

4.05 व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम के लक्ष्यों की व्याख्या

व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार -परिवर्तन कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को लिखित रूप में अपने मुवक्किल के समक्ष व्याख्यायित करता है। संभावनाओं के विस्तार के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में, ख़तरे और लाभ का आंकलन ज़रूर किया जाना चाहिए। कार्यक्रम और साधन, जिनके द्वारा इसे पूरा किया जाएगा, की निरंतर व्याख्या मुवक्किल-अभ्यासक संबंध की पूरी अवधि के दौरान लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

4.06 व्यवहार-विश्लेषण कार्यक्रम की सफलता हेतु व्याख्यात्मक स्थितियां

व्यवहार-विश्लेषक अपने मुवक्किल को उन पर्यावरणिक स्थितियों के बारे में बतलाता है जो व्यवहार-विश्लेषण कार्यक्रम की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

4.07 कार्यक्रम कार्यांवयन में बाधक पर्यावरणिक स्थितियां

(क) यदि व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम के कार्यांवयन में अवरोधक/ बाधक पर्यावरणिक स्थितियां मौजूद हैं, तब उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक दूसरे/ भिन्न पेशेवर सहयोग (जैसे- दूसरे पेशवर लोगों के द्वारा मूल्यांकन, परामर्श और चिकित्सकीय हस्तक्षेप) की अनुशंसा करता है।

(ख) यदि पर्यावरणिक स्थितियां व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम को लागू करने में अवरोधक हों, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक पर्यावरणिक अवरोधों के निर्मूलन हेतु प्रयास करता है या इस तरह की अवरोधक स्थितियों का निर्माण करने वाले अवरोधों की लिखित रूप में पहचान करता है।

4.08 दण्ड प्रक्रियाओं के विषय में विचार

(क) व्यवहार-विश्लेषक जब तक संभव है, दण्ड के बजाए प्रयासों के सुदृढीकरण की ही अनुशंसा करता है।

(ख) यदि दण्डात्मक प्रक्रियाएं आवश्यक हो, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम में वैकल्पिक-व्यवहार के लिए प्रबल/ मज़बूत प्रक्रियाओं को हमेशा शामिल करता है।

(ग) दण्डाधारित प्रक्रियाओं को लागू या चालू करने से पूर्व व्यवहार-विश्लेषक यह सुनिश्चित करता है कि प्रबल/ मज़बूत प्रक्रियाओं को लागू करने के ज़रूरी उचित चरणों/ स्तरों का पालन कर लिया गया है, जिससे व्यवहार-ज़रूरतों की कठोरता या ख़तरे की स्थिति में प्रतिकूल प्रक्रियाओं का तत्काल प्रयोग किया जा पाए।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक को सुनिश्चित करना होता है कि प्रतिकूल प्रक्रियाएं प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और असावधानी के निरंतर बढ़ते स्तर के साथ जुड़ी होती हैं। व्यवहार-विश्लेषक को समयबद्ध रूप में प्रतिकूल प्रक्रियाओं की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना चाहिए और यदि यह कार्यक्रम अप्रभावी हो, तो व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए। व्यवहार-विश्लेषक प्रतिकूल प्रक्रियाओं को बंद करने की योजना को ज़रूर तैयार करता है, जिससे आवश्यकता न होने पर इस योजना का इस्तेमाल किया जा पाए।

4.09 न्यूनतम प्रतिबंधित प्रक्रियाएं

व्यवहार-विश्लेषक प्रक्रियाओं की प्रतिबंधात्मकता की समीक्षा और मूल्यांकन करते हैं और प्रभाविकता के लिए कम से कम/ न्यूनतम प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं की अनुशंसा करते हैं।

4.10 हानिकारक प्रबलताओं से परिहार (बचना)

व्यवहार-विश्लेषक प्रबलीकृत क्षमता वाली उन युक्तियों के प्रयोग को न्यूनीकृत करता है, जो मुवक्किल के स्वास्थ और उसके विकास के लिए हानिकारक हो सकती हैं या ऐसी स्थिति में प्रभाविकता के लिए अत्याधिक प्रेरणात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है।

4.11 व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम और व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं की समाप्ति

(क) व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम को बंद करने की स्थितियों हेतु समझने योग्य और वस्तुनिष्ठ (जिन्हें मापा जा सकता है) मानदंडों को निर्धारित करता है और मुवक्किल को इसे व्याख्यायित करता है। (नियमावली के नियम 2.15 घ 'सेवाओं में बाधा या उन्हें समाप्त करना' बिन्दु को भी देखें)

(ख) व्यवहार-विश्लेषक मुवक्किल के साथ उस स्थिति में सेवाओं को समाप्त कर देता है, जब सेवा समाप्ति के स्थापित मानक सामने आ जाएं, उदाहरणस्वरूप पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। (नियमावली के नियम 2.15 घ 'सेवाओं में बाधा या उन्हें समाप्त करना' को भी देखें)

5.0 पर्यवेक्षकों के रूप में व्यवहार-विश्लेषक

व्यवहार-विश्लेषक जब पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, उस स्थिति में उन्हें इस जिम्मेदारी से संबंधित सभी पहलुओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। (इस संबंध में इस नियमावली के नियम संख्या: 1.06 'बहु-संबंध और हितों का टकराव', 1.07 'शोषक संबंध', 2.05 'मुवक्किल के अधिकार व विशेषाधिकार', 2.06 'गोपनीयता', 2.15 'सेवाओं में बाधा या उन्हें समाप्त करना', 8.04 'मीडिया में प्रस्तुति और मीडिया आधारित सेवाएं', 9.02 'उत्तरदायी शोध की विशेषताएं', 10.05 'बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) पर्यवेक्षण और पाठ्यकार्य मानकों का अनुपालन' को भी देखें)

5.01 पर्यवेक्षणीय क्षमता

व्यवहार-विश्लेषक केवल उन्हीं क्षेत्रों में पर्यवेक्षण करते हैं, जिस क्षेत्र में उनकी क्षमता/ योग्यता परिभाषित है।

5.02 पर्यवेक्षी संख्या

व्यवहार-विश्लेषक उतनी ही संख्या में पर्यवेक्षणीय कार्यों को स्वीकार करते हैं, जिसमें वे अपनी क्षमता पूरी प्रभाविकता के साथ व्यक्त कर पाते हैं।

5.03 पर्यवेक्षी प्रतिनिधिमंडल

(क) व्यवहार-विश्लेषक अपने पर्यवेक्षियों को केवल वही जिम्मेदारियां देता है, जिन जिम्मेदारियों वे व्यक्ति नैतिक और सुरक्षित रूप में पूरी तरह से निभा सकते हैं।

(ख) यदि पर्यवेक्षणकर्ता में पूरी तरह से, नैतिक और सुरक्षित रूप से जिम्मेदारियों को निभा पाने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक इस कौशल को अर्जित करने के लिए स्थितियों को निर्मित करता है।

5.04 प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण का प्रारूपीकरण

व्यवहार-विश्लेषक सुनिश्चित करता है कि पर्यवेक्षण व प्रशिक्षण के लिए व्यवहार-विश्लेषण की विषय-वस्तु प्रभावी व नैतिक रूप से प्रारूपित हो और यह प्राप्त अनुज्ञा, प्रमाणीकरण और दूसरे परिभाषित लक्ष्यों की ज़रूरतों के अनुरूप हो।

5.05 पर्यवेक्षी परिस्थितियों के बारे सूचना

व्यवहार-विश्लेषक पर्यवेक्षण के पूर्व पर्यवेक्षण के उद्देश्य, ज़रूरत, मूल्यांकन मानक, परिस्थितियों और शर्तों को लिखित रूप से व्याख्यायित करते हुए उपलब्ध कराता है।

5.06 पर्यवेक्षियों को प्रतिक्रिया (Feedback) विकल्प की उपलब्धता

(क) व्यवहार-विश्लेषक इस तरीके से प्रतिक्रिया और सुदृढीकरण के तरीके को प्रारूपित करता है कि इससे पर्यवेक्षियों का प्रदर्शन और अधिक बेहतर हो।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक पर्यवेक्षियों के प्रदर्शन के संबंध में दस्तावेजीकृत व समयबद्ध रूप से प्रतिक्रिया को निरंतर उपलब्ध कराता है। (इसके साथ में नियम 10.05 'बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) पर्यवेक्षण और पाठ्यकार्य मानकों का अनुपालन' को देखें)

5.07 पर्यवेक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन

व्यवहार-विश्लेषक अपनी स्वयं की पर्यवेक्षी गतिविधियों के निरतंर मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था को प्रारूपित करता है।

6.0 व्यवहार-विश्लेषण के पेशे के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की नैतिक जिम्मेदारी

व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-विज्ञान और व्यवहार-विश्लेषक पेशे के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदारी है।

6.01 सिद्धांतों की पुष्टि

(क) दूसरे सभी पेशेवर प्रशिक्षण से परे व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-विश्लेषण के पेशे के मूल्यों, नैतिकताओं और सिद्धांतों की वरीयता मानता है और हमेशा इनका पालन करता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक का दायित्व है कि वह पेशेवर व्यवहार-विश्लेषण संस्थानों व वैज्ञानिक संस्थानों या गतिविधियों में भागीदारी करे।

6.02 व्यवहार-विश्लेषण का प्रसार

व्यवहार-विश्लेषक आम जनता के बीच प्रस्तुतियों, चर्चाओं के साथ दूसरे मीडिया साधनों को प्रयोग करके व्यवहार-विश्लेषण के बारे में सूचनाओं-जानकारियों को प्रसारित करता है।

7.0 व्यवहार-विश्लेषक की अपने सहयोगियों के प्रति जिम्मेदारी

व्यवहार-विश्लेषक व्यवहार-विश्लेषण के पेशे के दायरे में और इसके बाहर के दूसरे पेशों के बीच अपने सहयोगियों के साथ कार्य करता है और वह इससे संबंधित नैतिक दायित्वों के प्रति हर एक स्थिति में सचेत रहता है। (नियम 10.0 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की नैतिक जिम्मेदारी)

7.01 नैतिक संस्कृति का संवर्द्धन

व्यवहार-विश्लेषक अपने कार्य स्थितियों में एक नैतिक संस्कृति का संवर्द्धन करता है और दूसरे व्यक्तियों को भी इन नियमों से परिचित कराता है।

7.02 दूसरों के द्वारा नैतिक मूल्यों का उल्लंघन और क्षति पहुंचने का ख़तरा

(क) यदि व्यवहार-विश्लेषकों को प्रतीत होता कि वे स्थितियां मौजूद हैं कि जहां विधिक या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन हो सकता है, ऐसी स्थिति में उन्हें सबसे पहले यह निर्धारित करना होता है कि ये स्थितियां नुक़सानदायक है कि नहीं और इनमें विधिक नियमों के उल्लंघन की संभावना है कि नहीं, अनिवार्य रूप से सूचना देनी की स्थिति है कि नहीं या इनके उल्लंघन की किसी संस्था, संगठन या नियामक संस्था को सूचना देने की ज़रूरत है कि नहीं।

(ख) यदि किसी मुवक्किल के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उसके अधिकारों के उल्लंघन की संभावना है, ऐसी स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक को मुवक्किल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए, इसके साथ ही, लेकिन केवल इतना ही नहीं, वह संबंधित अधिकारियों से संपर्क करता है, सांगठनिक नीतियों का पालन करता है और उचित पेशेवर लोगों के साथ परामर्श करके समुचित दस्तावेजीकरण करता है कि उसने किस प्रकार इस मामले में अपने प्रयासों को अंजाम दिया।

(ग) यदि कोई अनौपचारिक हल समुचित प्रतीत होता है और यह हल किसी तरह से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक इस मुद्दे को संबंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाकर हल करने का उद्यम करता है और इस मुद्दे को हल करने के लिए अपने प्रयासों को दस्तावेजीकृत करता है। लेकिन यदि यह मसला नहीं हल होता है, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक संबंधित मामले की उचित प्राधिकारियों (जैसे- नियोक्ता, पर्यवेक्षक, नियामक अधिकारियों) को सूचना देता है।

(घ) यदि कोई ऐसा मामला सामने उपस्थित हो, जिसे नियमानुसार बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के संज्ञान में लाने की आवश्यकता हो, उस स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक बोर्ड को औपचारिक रूप से शिकायत सौपेगा। (नियम 10.2 'बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को समयबद्ध प्रतिक्रिया, रिपोर्ट और सूचनाओं के अद्यतन रूप से सूचित करना' को भी देखें)

8.0 सार्वजनिक बयान

व्यवहार-विश्लेषक अपनी पेशेवर सेवाओं, उत्पादों, या प्रकाशन, या व्यवहार-विश्लेषण के पेशे से संबंधित सार्वजनिक बयान देने की स्थिति में इस नियमावली का पूरी तरह से पालन करता है। सार्वजनिक बयानों में शुल्काधारित या बिना शुल्क के विज्ञापन, विवरणिका, मुद्रित सामग्री, डाइरेक्टरी के विवरण, व्यक्तिगत जीवनवृत्त या पेशेवर कार्यवृत्त, साक्षात्कार या मीडिया में प्रयुक्त हुई टिप्पणियां, विधिक कार्यवाहियों में दिए गए बयान, सार्वजनिक भाषण और प्रस्तुतियां, सोशल मीडिया और प्रकाशित सामग्री आदि सभी कुछ शामिल है, हॉलाकि यह सूची इतने तक ही सीमित नहीं है।

8.01 झूठे व भ्रामक बयानों का परिहार

(क) व्यवहार-विश्लेषक केवल इसलिए झूठे, भ्रामक, भ्रमोत्पादक, अतिरंजित या छलपूर्ण सार्वजनिक बयान नहीं देते हैं, कि उन्होंने पहले क्या कहा, व्यक्त किया या प्रस्तावित किया था, या केवल इसलिए कि अपने शोध के संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ छोड़ (मिटा) दिया, या उन व्यक्तियों या संस्थाओं के कारण जिनसे वे संबद्ध हैं। व्यवहार-विश्लेषक अपने व्यवहार-विश्लेषण कार्य के प्रत्यापक का दावा केवल उस एक स्तर तक करता है, जहां विषयवस्तु के स्तर पर प्राथमिक या वैशिष्ट्य रूप में वह संबद्ध होता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक ग़ैर-व्यवहार-विश्लेषण को नहीं लागू करता है। ग़ैर-व्यवहार-विश्लेषण सेवाएं केवल ग़ैर-व्यवहार-विश्लेषक शिक्षा, औपचारिक प्रशिक्षण और प्रत्यापकों के दायरे में ही दी जा सकती है। इस तरह की सेवाओं को स्पष्ट रूप से उनकी व्यवहार-

विश्लेषक पद्धतियों (तरीकों) से विभेदीकृत करना चाहिए और बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) प्रमाणीकरण में इस तरह के अस्वीकरण (Disclaimer) का प्रयोग करना चाहिए: 'ये हस्तक्षेप अपनी प्रकृति में व्यवहार-विश्लेषण नहीं हैं और ये बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) प्रत्यापकों में शामिल नहीं होते हैं।' यह अस्वीकरण नाम और दूसरे सभी ग़ैर-व्यवहार-विश्लेषक हस्तक्षेपों के साथ में ही होना चाहिए।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक ग़ैर-व्यवहारात्मक-विश्लेषण सेवाओं को व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं के रूप में विज्ञापित नहीं करते हैं।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक ग़ैर-व्यवहारात्मक सेवाओं को बिलों (Bills), बीजक (Invoice) या प्रतिपूर्ति के अनुरोधों में व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं के रूप में उल्लेखित नहीं करते हैं।

(ङ) व्यवहार-विश्लेषक ग़ैर-व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं को व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान नहीं करता है।

8.02 बौद्धिक संपदा

(क) व्यवहार-विश्लेषक व्यवसाय-चिंह्न (Trademark) या सर्वाधिकार सुरक्षित (Copyright) सामग्री को प्रयोग करने के लिए विधि अनुसार अनुज्ञा प्राप्त करता है। इसके साथ वह उद्धरणों के समावेश के साथ व्यवसाय-चिंह्नों या सर्वाधिकार सुरक्षित सामग्री के लिए उचित चिंह्नों को प्रयोग करता है, जिससे यह पता चल पाए कि यह दूसरे व्यक्तियों की बौद्धिक संपदा है।

(ख) व्यवहर-विश्लेषक भाषण देने में, कार्यशाला में या दूसरी प्रस्तुतियों में मूल लेखक को उचित श्रेय देता है।

8.03 दूसरों के बयान

(क) व्यवहार-विश्लेषक, जो दूसरे व्यक्तियों के साथ शामिल होकर अपने पेशेवर अभ्यास, उत्पादों या गतिविधियों के बारे सार्वजनिक बयान देता या निर्मित करता है, उस स्थिति में भी इस तरह के बयानों की जिम्मेदारी व्यवहार-विश्लेषक की ही होती है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक उन दूसरे लोगों (जैसे- कर्मचारी, प्रकाशक, प्रायोजक, सांगठनिक मुवक्किल और छापेखाने या प्रसारण मीडिया के प्रतिनिधियों) को, जिनका वे पर्यवेक्षण नहीं करते हैं, व्यवहार-विश्लेषण की गतिविधियों या पेशेवर या वैज्ञानिक गतिविधियों के विषय में भ्रामक बयान देने से रोकने के लिए उचित प्रयास करता है।

(ग) यदि व्यवहार-विश्लेषक इस तथ्य से परिचित होता है कि उनके कार्यों के बारे में दूसरे लोगों द्वारा भ्रमपूर्ण बयान दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में व्यवहार-विश्लेषक इन बयानों को सही करता है।

(घ) व्यवहार-विश्लेषण गतिविधियों से संबंधित शुल्काधारित विज्ञापन को इसी रूप में प्रतीत होना चाहिए अन्यथा यह संदर्भ से विमुख हो जाएगा।

8.04 मीडिया मे प्रस्तुति और मीडिया आधारित सेवाएं

(क) व्यवहार-विश्लेषक इलेक्ट्रानिक मीडिया (जैसे वीडियो, ई-लर्निंग, सोशल मीडिया, सूचनाओं के इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण) का प्रयोग करता है, उसे इलेक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित सुरक्षा और सीमाओं के बारे ज्ञान रखना चाहिए, जिससे वह इस नियमावली का अनुपालन उचित रूप में कर पाए।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक सार्वजनिक बयान में, या इलेक्ट्रानिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुतिकरण में अपने मुवक्किल, पर्यवेक्षियों, छात्रों, शोध सहयोगियों या पूर्व अवधि में सेवा प्राप्तकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत या उनकी पहचान को उजागर करने वाली सूचनाओं को तब तक प्रयोग नहीं करता है, जब तक इस विषय में लिखित अनुमति नहीं प्राप्त होती है।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक इलेक्ट्रानिक माध्यमों का प्रयोग करके प्रस्तुतिकरण करने में जहां तक संभव हो, संबंधित भागीदारों की गोपनीय जानकारी छिपा कर रखता है, जिससे भागीदार लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचान पाते हैं और इस तरह यह चर्चा पहचान योग्य भागीदारों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचा पाती है।

(घ) जब व्यवहार-विश्लेषक सार्वजनिक बयानों, प्रदर्शनों-प्रस्तुतियों, रेडियो-टेलीविजन कार्यक्रमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, लेखों, मेल या या दूसरे माध्यमों द्वारा भेजी गई सामग्री द्वारा कोई सार्वजनिक बयान, सलाह या टिप्पणी करता है, तब उस स्थिति में वह निम्न चीज़ों के प्रति सतर्क रहता है: (i) यह बयान समुचित रुप से व्यवहार-विश्लेषण साहित्य व अभ्यास पर आधारित हो (ii) यह बयान इस नियमावली के अनुकूल हो और (iii) यह सलाह या टिप्पणी प्राप्तकर्ता के साथ सेवाओं के लिए कोई समझौता नहीं निर्मित करे।

8.05 अनुशंसा और विज्ञापन

व्यवहार-विश्लेषक अपने वेबपेज या दूसरे इलेक्ट्रानिक माध्यमों या प्रकाशन सामग्री में व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं के बारे में अपने मौजूदा मुवक्किल से प्राप्त अनुशंसा पत्र या प्रमाणपत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। पूर्ववर्ती मुवक्किलों से प्राप्त प्रमाणपत्रों को इस रुप में अवश्य देख लेना चाहिए कि ये अनुशंसात्मक हैं या नहीं, इसके साथ में व्यवहार-विश्लेषक और प्रमाणपत्र लेखक के बीच के संबंध के बारे में सही सूचना को भी जांचा जाना चाहिए, और इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रमाणपत्र में किए गए सभी दावे विधि-अनुकूल हैं कि नहीं।

व्यवहार-विश्लेषक अपने द्वारा प्रदत्त प्रमाण-आधारित सेवाओं के सभी प्रकारों व नमूनों को व्याख्यायित करने के साथ अपने कर्मचारियों की योग्यता और वस्तुनिष्ठ परिणामी आँकड़ों का विज्ञापन कर सकता है, बशर्ते वे सूचनाएं सही हों या लागू क़ानून के अनुरुप हों।

8.06 वैयक्तिक निवेदन

व्यवहार-विश्लेषक प्रत्यक्ष रुप से या प्रतिनिधि के माध्यम से सेवाओं के उन वास्तविक या संभावित प्रयोक्ताओं से व्यवसाय के लिए ग़ैर-आमंत्रित वैयक्तिक निवेदन में नहीं शामिल होता है, जो अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण अनुचित प्रभाव में आ सकते हैं। सांगठनिक व्यवहार प्रबंधन या प्रदर्शन प्रबंधन सेवाओं का कार्पोरेट नियामकों से उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखे बिना विपणन किया जा सकता है।

9.0 व्यवहार-विश्लेषण और शोध

व्यवहार-विश्लेषक वैज्ञानिक योग्यता और नैतिक शोध के मान्य मानकों के अनुरुप ही शोध कार्यों को प्रारूपित करते हैं, व्यवहार में लाते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं।

9.01 विधि और विनियमों की अभिपुष्टि

व्यवहार-विश्लेषक शोध कार्य को इस रुप में प्रारूपित करते हैं कि वे सभी प्रचलित क़ानूनों व विनियमों की सुसंगतता में हों, इसके साथ ही वह शोध को पेशेवर मानकों के अनुरुप ही कार्यरुप देता है। व्यवहार-विश्लेषक सूचनात्मक ज़रुरतों की अनिवार्यता से संबंधित लागू क़ानूनों व विनियमों का भी अनुपालन करता है।

9.02 उत्तरदायी शोध की विशेषताएं

(क) व्यवहार-विश्लेषक केवल एक स्वतंत्र, औपचारिक शोध समीक्षा बोर्ड की अनुमति के बाद ही अपने शोध कार्य को कार्यरुप में तब्दील करता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक द्वारा चिकित्सकीय या मानवीय सेवाओं के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त रुप से प्रयोगिक अनुसंधान करने की स्थिति में वह मुवक्किल-भागीदारों के हस्तक्षेप व शोध में शामिल होने पर दोनों की आवश्यकताओं के प्रति बाध्यकारी होता है।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक शोध को पूरी योग्यतानुरुप करता है और भागीदारों की गरिमा और कुशलता के प्रति अपने सरोकार को सर्वोपरि रखता है।

(घ) व्यवहार-विश्लेषक अपने शोध कार्य को इस रुप में प्रारूपित करता है कि शोध परिणामों के भ्रामक होने की संभावना न्यूनतम हो।

(ङ) शोधकर्ताओं और सहयोगियों को केवल उन्हीं कार्यों की अनुमति है, जिसके लिए वे समुचित रूप से प्रशिक्षित है और समुचित तैयारी है। व्यवहार-विश्लेषक अपने अंतर्गत या पर्यवेक्षण में सहयोगियों या दूसरे लोगों द्वारा किए गए शोध कार्य के नैतिक व्यवहार के प्रति जिम्मेदार होता है।

(च) यदि नैतिकता संबंधी कोई मुद्दा या बिंदु अस्पष्ट है, तब व्यवहार-विश्लेषक स्वतंत्र, औपचारिक शोध समीक्षा बोर्ड, सहकर्मी परामर्शदाताओं या दूसरे उचित माध्यमों के जरिए परामर्श द्वारा इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करता है।

(छ) व्यवहार-विश्लेषक तभी स्वतंत्र रूप से शोध करता है, जब वह एक परिभाषित संबंध (जैसे शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, विशिष्ट शोध परियोजना) में किसी पर्यवेक्षक के अंतर्गत सफलतापूर्वक शोध कार्य कर चुका होता है।

(ज) व्यवहार-विश्लेषक शोध कार्य को यह आवश्यक सावधानी बरतते हुए पूर्ण करता है कि उसके मुवक्किल, पर्यवेक्षी, शोध भागीदार, छात्र और उसके सहकर्मियों को अधिकतम लाभ हो और न्यूनतम ख़तरा हो।

(झ) व्यवहार-विश्लेषक उन व्यक्तिगत, वित्तीय, सामाजिक, सांगठनिक या राजनीतिक कारकों के प्रभाव को न्यूनीकृत करता है, जिनसे शोध के दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है।

(ञ) यदि व्यवहार-विश्लेषक को पता चलता है उसके अपने व्यक्तिगत कार्य उत्पादों का दुरुपयोग या उनकी ग़लत व्याख्या की जा रही है, उस स्थिति में वे दुरुपयोग रोकने या ग़लत व्याख्या को सही करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।

(ट) व्यवहार-विश्लेषक शोध कार्य करने के दौरान हितों के टकराव की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देता है।

(ठ) व्यवहार-विश्लेषक शोध कार्य में भागीदारों या उन परिस्थितियों, जिसमें शोध कार्य किया जा रहा है, के हस्तक्षेप को न्यूनीकृत करता है।

9.03 सहमति अनुज्ञा

व्यवहार-विश्लेषक भागीदारों या उनके अभिवावकों या प्रतिनिधि को उनकी समझ में आने वाली भाषा में शोध की प्रकृति के बारे में सूचना देता है; यह कि वे इसमें भागीदारी के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें भागीदारी करने से इंकार कर सकते हैं, या बिना किसी दण्ड (जुर्माना) के किसी भी समय स्वयं को शोध से अलग कर सकते हैं; उन महत्वपूर्ण कारकों के बारे में जो इसमें भागीदारी की उनकी सम्मति को प्रभावित कर सकते हैं; और भागीदार शोध से संबंधित हर एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकता है।

9.04 उपदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए गोपनीय जानकारी का प्रयोग

(क) व्यवहार-विश्लेषक अपने कार्य के दौरान अपने व्यक्तिगत या संस्थागत मुवक्किलों, शोध भागीदारों या उसकी सेवाओं के दूसरे प्राप्तकर्ताओं की एकत्र की गई पहचान योग्य व्यक्तिगत जानकारी को तब तक उजागर नहीं करता है, जब तक इस बारे में व्यक्ति या संस्था से लिखित में सहमति न प्राप्त हो या दूसरी कोई विधिगत अनुज्ञा न प्राप्त हो।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक जब तक संभव हो अपने भागीदारों से संबंधित जानकारी छिपा कर रखता है, जिससे व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहचाना न जा पाए और इसलिए चर्चा पहचानयोग्य व्यक्ति के नुक़सान पहुंचाने का कारण नहीं बनती है।

9.05 लघु साक्षात्कार

व्यवहार-विश्लेषक भागीदारों को यह सूचना देता है कि शोध में भागीदारी के निष्कर्ष रूप में भागीदार का लघु साक्षात्कार होगा।

9.06 अनुदान व पत्रिका (जर्नल) समीक्षा

अनुदान समीक्षा पैनल में या पांडुलिपि समीक्षक के तौर सेवा दे रहे व्यवहार-विश्लेषक उस विषय पर शोध कार्य नहीं करते हैं, जिसे उनके द्वारा समीक्षित किए गए अनुदान प्रस्ताव या पांडुलिपि में व्याख्यायित किया गया है, इसमें पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं को पूरा श्रेय देते हुए किया गया अनुकरण अपवाद है।

9.07 बौद्धिक चोरी

(क) व्यवहार-विश्लेषक, जहां उपयुक्त होता है, दूसरों के कार्यों का पूरी तरह से उल्लेख करता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक दूसरों के कार्यों या आँकड़ों के हिस्सों को या उसके तत्वों को स्वयं के कार्य के रूप में उल्लेखित नहीं करते हैं।

9.08 योगदान स्वीकरण

व्यवहार-विश्लेषक शोध कार्य में दूसरे व्यक्तियों के योगदान को सह-लेखक के रूप में शामिल करके या फुटनोट में उनके योगदान को उल्लेखित करके स्वीकार करते हैं। मुख्य लेखक और प्रकाशन में दूसरों के योगदान को, दूसरे भागीदार व्यक्तियों के प्रसांगिक वैज्ञानिक या पेशेवर योगदान को उचित रूप से अभिव्यक्त करते हैं, भले ही उन लोगों की सापेक्षिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। शोध कार्य या प्रकाशन के लिए लिखे गए दस्तावेज में अल्प भूमिका को भी उचित रूप में, जैसे फुट नोट में या प्रस्तावना में, उचित रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।

9.09 आँकड़ों की शुद्धता और इनका प्रयोग

(क) व्यवहार-विश्लेषक अपने प्रकाशनों में मनगढ़ंत आँकड़ों या झूठे निष्कर्षों को नहीं शामिल करता है। यदि व्यवहार-विश्लेषक अपने प्रकाशित आँकड़ों में गड़बड़ी पाते हैं, तो वे इन अशुद्धियों को सुधार, इनके परित्याग, शुद्धिपत्र या दूसरे उचित प्रकाशन माध्यम का प्रयोग कर ठीक करते हैं।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक उन निष्कर्षों का परित्याग नहीं करता है, जो उसके कार्य की व्याख्या में व्यतिक्रम पैदा करते हैं।

(ग) व्यवहार-विश्लेषक पूर्व में प्रकाशित हो चुके आँकड़ों को नए आँकड़ों के रूप में नहीं प्रकाशित करता है। लेकिन यह नियम उन्हें तब आँकड़ों के पुनर्प्रकाशन से प्रतिबंधित नहीं करता है, जब वे उचित रूप में योगदान स्वीकार करते हुए इन आँकड़ों का प्रकाशन करते हैं।

(घ) शोध निष्कर्ष के प्रकाशित होने बाद, शोध जिन आँकड़ों पर आधारित है, उन आँकड़ों को व्यवहार-विश्लेषक उन दूसरे पेशेवर लोगों को देने से इंकार नहीं करता है, जो शोध में किए गए मौलिक दावों की पुनः पुष्टि के लिए संबंधित आँकड़ों को पुनर्विश्लेषित करना चाहते हैं और इसी प्रयोग के लिए आँकड़ों का प्रयोग करना चाहते हैं और यह कि वे शोध भागीदारों की गोपनीयता बनाए रखते हैं और अन्यथा संबंधित आँकड़ों से संदर्भित विधिक अधिकार उनके जारी होने को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

10.0 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के प्रति व्यवहार-विश्लेषक की नैतिक जिम्मेदारी

व्यवहार-विश्लेषक को हमेशा इस नियमावली के पालन साथ बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के सभी नियमों व मानकों का पालना करना चाहिए।

10.01 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को सत्य व परिशुद्ध जानकारी उपल्ब्ध कराना

(क) व्यवहार-विश्लेषक बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) में जमा किए गए आवेदनों और दस्तावेजों में केवल सत्य व परिशुद्ध जानकारी ही प्रदान करता है।

(ख) व्यवहार-विश्लेषक यह सुनिश्चित करता है कि बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को भेजी गई कोई भी ग़लत/ अशुद्ध जानकारी तत्काल सही की जाए।

10.02 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को समयबद्ध प्रतिक्रिया, रिपोर्ट और सूचनाओं के अद्यतन रूप से सूचित करना

व्यवहार-विश्लेषक बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) द्वारा निर्धारित की गई तय समयावधि का पालन करता है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को स्वीकृति स्थिति (Sanctioning Status) के संदर्भ में निम्न आधारों पर केवल तीस (30) दिन की समयसीमा में अधिसूचित करना होता है:

(क) इस नियमावली का उल्लंघन, या सरकारी संस्थाओं, स्वास्थ संबंधी संस्थाओं, तीसरे पक्ष या शैक्षिक संस्था की ओर से अनुशासनात्मक जाँच-पड़ताल, कार्यवाही या दण्ड, आरोपों की दाखिली, दोषसिद्धि या दोषी की याचिका या इसके अलावा कोई भी मुद्दा। कार्यविधि संबंधी नोट: व्यवहार-विश्लेषण अभ्यास और/ या सार्वजनिक स्वास्थ और सुरक्षा से संबंधित मामलों में घोर अपराध के दोषी व्यवहार-विश्लेषक बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) में पंजीकरण, प्रमाणीकरण या पुनःप्रमाणीकरण हेतु अपील की समाप्ति, पैरोल या परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति या कारावास से अंतिम मुक्ति (यदि ऐसा है), जो भी लागू हो, के तीन साल तक, या जो अवधि बाद में हो, आवेदन करने के लिए अयोग्य होंगे; (नियम 1.04 'अखण्डता/ ईमानदारी' को भी देखें)

(ख) सार्वजनिक स्वास्थ- और सुरक्षा-संबंधी दण्डशुल्क या टिकट, जिसमें व्यवहार-विश्लेषक का नाम हो;

(ग) कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक स्थिति, जो व्यवहार-विश्लेषक के योग्यतापूर्वक कार्य करने में बाधक हो; और

(घ) नाम, पता और ई-मेल में परिवर्तन की सूचना।

10.03 गोपनीयता और बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) बौद्धिक संपदा

व्यवहार-विश्लेषक बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) की बौद्धिक संपदा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, इसके साथ में बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के निम्न अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है:

(क) बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) प्रतीक चिंह्न (Logo), ए.सी.एस. (ACS) प्रतीकचिंह्न, ए.सी.ई. (ACE) प्रतीकचिंह्न, प्रमाणपत्र, प्रत्यापक और पद-नाम के साथ बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के अपने और उसके द्वारा किए गए दावे में शामिल व्यवसाय चिंह्नों, सेवा चिंह्नों, पंजीयन चिंह्नों और प्रमाणीकरण चिंह्नों पर (इसमें बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) से संबद्धता, प्रमाणीकरण या पंजीयन का विभ्रम उत्पन्न करने के उद्देश्य से जारी समान प्रतीक चिंह्न या राष्ट्रीय प्रमाणीकरण को संस्थापित करने के रूप में ए.सी.एस. (ACS) से प्रमाणित शैक्षणिक संस्था के रूप में मिथ्यावर्णन भी शामिल है) और इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर;

(ख) बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) का वास्तविक और व्युत्पन्न कार्यों पर सर्वाधिकार सुरक्षित है, इसके साथ में मानकों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों, संहिताओं, कार्य-लक्ष्य विश्लेषण, कार्यसमूह रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि पर भी सर्वाधिकार सुरक्षित है, लेकिन यह सूची इतने तक ही सीमित नहीं है;

(ग) बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) का बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) द्वारा विकसित सभी परीक्षा प्रश्नों, मद अधिकोषों (Item Bank), परीक्षा विनिर्देशन, परीक्षा फार्म और परीक्षा मूल्यांकन/ अंकतालिका परिपत्र, जो कि बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के व्यवसायिक गोपनीय हैं, पर सर्वाधिकार सुरक्षित है। व्यवहार-विश्लेषक को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि वह बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) की किसी भी परीक्षा सामग्री की विषय-वस्तु को उजागर नहीं करता है, भले ही वह इस विषय-वस्तु से किसी भी प्रकार से परिचित हुआ हो। व्यवहार-विश्लेषक संदिग्ध या परिचित उल्लंघनकर्ता और/ या परीक्षा संबंधी विषयवस्तु का ग़ैर-प्राधिकृत पहुंच रखने वाले व्यक्ति और/ या बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के बौद्धिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की सूचना तत्काल ही बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को देता है। समस्या के अनौपचारिक निदान (नियम 7.02ग में उल्लेखित) के लिए किए गए उपाय इस अनुच्छेद के अनुरूप तत्काल सूचना की आवश्यकता के कारण अधित्यक्त हैं।

10.04 परीक्षागत ईमानदारी और अनियमितता

व्यवहार-विश्लेषक बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के सभी नियमों के साथ उन नियमों और प्रक्रियाओं का भी पालन करता है, जो बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) द्वारा अनुमोदित परीक्षण स्थल और परीक्षा प्रशासक व प्रॉक्टर की आवश्यकतानुरूप होते हैं। व्यवहार-विश्लेषक को किसी भी संदिग्ध धोखेबाज और बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) की परीक्षाओं से संबंधित किसी भी किस्म की अनियमितता की तत्काल सूचना बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को

देनी चाहिए। परीक्षा अनियमितताओं में बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) परीक्षा या उत्तरपुस्तिकाओं की अनाधिकार प्राप्ति, उत्तरों की नकल, दूसरों को उत्तरों की नकल करने की अनुमति देना, परीक्षा संचालन को बाधित करना, झूठी सूचना, शिक्षा या प्रत्यापक, और परीक्षा के पहले, दौरान या बाद में बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) परीक्षा विषय-वस्तु को देना और/या इसके बारे में ग़ैर-प्राधिकृत या ग़ैर-विधिक सलाह को प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। इस प्रतिबंध में 'इक्जाम डंप' (exam dump) साइट या ब्लॉग, जो कि ग़ैर-प्राधिकृत रूप से बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) परीक्षा प्रश्नों तक पहुंचते हैं, का प्रयोग या भागीदारी भी शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। किसी भी समय यदि यह पता चलता है कि आवेदक या प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ता ने 'इंग्जाम डंप' संस्था में भागीदारी की थी या इसका प्रयोग किया था, उसके ख़िलाफ तत्काल कार्यवाही की जा सकती है और उसकी पात्रता को वापस लिया जा सकता है, परीक्षा मूल्यांकन को रद्द किया जा सकता है या अनुचित साधनों के द्वारा परीक्षा सामग्री को प्राप्त कर प्रयोग करके हासिल किए गए प्रमाणपत्र को वापस लिया जा सकता है।

10.05 बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) पर्यवेक्षण और पाठ्यकार्य मानकों का अनुपालन

व्यवहार-विश्लेषक सुनिश्चित करता है कि पाठ्यकार्य (निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ), पर्यवेक्षण अनुभव, आर.बी.टी. (RBT) प्रशिक्षण और मूल्यांकन और बी.सीए.बी.ए (BCaBA) पर्यवेक्षण, यदि ये गतिविधियां बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के मानकों का पालन करने से अभिप्रेरित है, बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) के मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाते हैं। (नियम 5.0 'पर्यवेक्षकों के रूप में व्यवहार-विश्लेषक' को भी देखें)

10.06 इस नियमावली से सुपरिचय

व्यवहार-विश्लेषक की यह जिम्मेदारी है कि वह इस नियमावली के साथ, दूसरी लागू नैतिक नियमावलियों के साथ नैतिक व्यवहार हेतु अनुज्ञा हेतु अपेक्षाओं, और व्यवहार-विश्लेषक के कार्यों पर इनके अनुप्रयोग ,से सुपरिचित हो, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। आचरण मानकों के बारे में जागरूकता की कमी या इन्हें ग़लत तरीके से समझना किसी भी अनैतिक व्यवहार के आरोप से बचाव का कारण नहीं माना जाता है।

10.07 ग़ैर-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा मिथ्या-निरूपण को हतोत्साहित करना

व्यवहार-विश्लेषक ग़ैर-प्रमाणीकृत (और, यदि लागू हो, ग़ैर-पंजीकृत) अभ्यासकों के बारे में राज्यिक अनुज्ञा मंडल (स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड) को सूचना देता है और बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) प्रमाणीकरण या पंजीकरण स्थिति के बारे में गलत-बयानी करने वाले अभ्यासकों के बारे में बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) को सूचना देता है।

शब्दावली

व्यवहार-विश्लेषक (Behavior Analyst)

व्यवहार-विश्लेषक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) या बी.सीए.बी.ए. (BCaBA) प्रत्यापक हों, बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) द्वारा पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत हो, बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) द्वारा अनुमोदित पाठ्य अनुक्रम में संयोजक की भूमिका के लिए प्राधिकृत हो। जहां नियमावली के तत्व आर.बी.टी. (RBT) अभ्यास के लिए प्रसांगिक प्रतीत हो, वहां 'व्यवहार-विश्लेषक' शब्द में व्यवहार-तकनीज्ञ भी शामिल होता है।

व्यवहार-विश्लेषण सेवाएं

व्यवहार-विश्लेषण सेवाएं वे सेवाएं हैं, जो सुस्पष्ट रूप से व्यवहार-विश्लेषण (यह व्यवहार-विज्ञान है) के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित होती हैं और इस रूप में प्रारूपित होती है कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण तरीकों में व्यवहार-परिवर्तन हो। इन सेवाओं में चिकित्सा, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, परामर्श, दूसरों का प्रबंधन व पर्यवेक्षण, शिक्षण और निरंतर शिक्षा प्रदान करना शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम

व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रम एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें प्रत्तेक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त तकनीक और उल्लेखित लक्ष्यों के लिए आवश्यक चिकित्सकीय उद्यमों की व्याख्या की गई होती है।

मुवक्किल

मुवक्किल से तात्पर्य व्यवहार-विश्लेषक द्वारा प्रदान की जा रही पेशेवर सेवाओं के हर एक प्राप्तकर्ता या लाभकर्ता से है। इसमें निम्न चीज़ें शामिल हैं, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है:

(क) सेवाओं के प्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता;

(ख) सेवाप्राप्तकर्ता के माता-पिता, संबंधी, विधिक प्रतिनिधि या विधिक अभिवावक;

(ग) व्यवहार-विश्लेषण सेवाओं के लिए नियोक्ता, ऐजेंसी, प्रतिनिधि, संस्थागत प्रतिनिधि या त्रिपक्षीय ठेकेदार; और/या

(घ) कोई दूसरा व्यक्ति या अस्तित्व, जिसे सेवा-लाभार्थी के रूप में जाना जाता है या कि जिसे सामान्यतः 'मुवक्किल' या 'मुवक्किल-प्रतिनिधि' के रूप में निरूपित किया जाएगा।

इस परिभाषा के उद्देश्य से मुवक्किल शब्द में त्रिपक्षीय बीमाकर्ता या शुल्क-देयकों को नहीं शामिल किया गया है, अन्यथा व्यवहार-विश्लेषक त्रिपक्षीय बीमाकर्ताओं या शुल्क-देयकों के बीच समझौते द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं।

कार्यात्मक मूल्यांकन

कार्यात्मक मूल्यांकन, जिसे कार्यात्मक व्यवहार-मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है, उन प्रक्रियाओं की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जिसका व्यवहार-समस्या के संभावित पर्यावरणिक कारकों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में सूचक मूल्यांकन (जैसे साक्षात्कार, दर्ज़ा निर्धारक), प्राकृतिक वातावरण (जैसे ए.बी.सी. मूल्यांकन) में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, और प्रयोगात्मक कार्यात्मक विश्लेषण शामिल होते हैं।

बहुसंबंध

बहुसंबंध वह कहलाता है, जिसमें व्यवहार-विश्लेषक अपने मुवक्किल के प्रति व्यवहार-विश्लेषक और ग़ैर-व्यवहार-विश्लेषक जैसी दो भूमिकाएं एक साथ निभाता है या कोई व्यक्ति मुवक्किल का निकटतम रूप से संबद्ध हो या उससे संबंधित हो।

सार्वजनिक बयान

सार्वजनिक बयान में शुल्कगत या बिना शुल्क के विज्ञापन, विवरणिका, छपी हुई सामग्री, नामावली निर्देशिका (डाइरेक्ट्री), व्यक्तिगत जीवनवृत्त या कार्यवृत्त, मीडिया में प्रयोग के लिए दिए गए साक्षात्कार या की गई टिप्पणी, विधिक कार्यवाहियों में दिए गए बयान, भाषण और सार्वजनिक प्रस्तुतियां, सोशल मीडिया और प्रकाशित सामग्री सभी शामिल हैं, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

शोध

ज्ञानात्मक अनुशासन के लिए सामान्यीकृत ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए निर्दिष्ट आँकड़ों पर आधारित कोई भी गतिविधि 'शोध' की सीमा में आता है, हॉलाकि ये गतिविधि प्रायः पेशेवर प्रस्तुतियों या प्रकाशनों के माध्यम से होती हैं। किसी एक प्रयोगात्मक प्रारूप का प्रयोग स्वयं में शोध को नहीं निर्दिष्ट करता है। पहले से एकत्र आँकड़ों के आधार पर की गई पेशेवर प्रस्तुतियां या प्रकाशन को नियम 9.0 (व्यवहार-विश्लेषण और शोध) में उल्लेखित अवयवों से मुक्त माना गया है कि वे भावी शोध गतिविधियों से संबंधित हैं (यह 9.02क में दर्ज है)। हॉलाकि नियम 9.0 के बाकी सभी तत्व (जो कि 9.01 विधि और विनियमों की अभिपुष्टि; 9.03 मुवक्किल के आँकड़ों के प्रयोग संबंधी सहमति अनुज्ञा) इस विषय पर लागू होते हैं।

शोध समीक्षा बोर्ड

पेशेवरों का एक समूह, जिसका निर्दिष्ट उद्देश्य शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना है, जिससे मानवीय शोध भागीदारों के प्रति नैतिक व्यवहार सुनिश्चित हो पाए। यह बोर्ड सरकारी या विश्वविद्यालय (यह इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ह्यूमन रिसर्च कमेटी है) की आधिकारिक सत्ता हो सकता है, सेवा संस्था के अंतर्गत एक स्थायी समिति हो सकती है या इस उद्देश्य के लिए गठित स्वतंत्र संगठन हो सकता है।

मुवक्किलों के अधिकार व विशेषाधिकार

मुवक्किलों के अधिकार व विशेषाधिकार मानवाधिकार, विधिक अधिकारों, व्यवहार-विश्लेषण के अंतर्गत सहिंताबद्ध अधिकारों के साथ मुवक्किल के हितार्थ प्रारूपित सांगठनिक और प्रशासनिक नियमों व विनियमों को संदर्भित करते हैं।

ख़तरे व लाभ का आंकलन

ख़तरे-लाभ का आंकलन एक संभावित ख़तरों (जो सीमाबद्धता, पार्श्व प्रभाव, लागत है) और लाभों (जो उपचार परिणाम, प्रभाविकता, बचत है) का सुचिंतित आंकलन है, जो व्यवधान प्रवृत्तता से संबद्ध होता है। ख़तरे-लाभ के किसी भी आंकलन का समाहार कार्यवाही की क्रियात्मकता के द्वारा ख़तरे से ज्यादा लाभ के निष्कर्ष रूप में होना चाहिए।

सेवा दस्तावेज

मुवक्किल के सेवा-दस्तावेज में व्यवहार-परिवर्तन उपाय, मूल्यांकन, ग्राफ, अपरिष्कृत आँकडें, इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग, प्रगतिगत संक्षिप्त विवरण, और लिखित रिपोर्टें शामिल हैं, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

छात्र

छात्र एक व्यक्तिगत (मनुष्य) इकाई है, जो किसी कॉलेज/ विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुका होता है। यह नियमावली औपचारिक व्यवहार-विश्लेषण निर्देशों के दौरान छात्र पर लागू होती है।

पर्यवेक्षी

पर्यवेक्षी एक व्यक्तिगत (मनुष्य) इकाई है, जिसकी व्यवहार-विश्लेषण सेवाएं पूर्वपरिभाषित, सहमतिपूर्ण संबंधों के संदर्भों के आधार पर व्यवहार-विश्लेषक की देखरेख में होती हैं।

अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली

Behavior	व्यवहार
Behavior Analyst	व्यवहार-विश्लेषक
Client	मुवक्किल
Debriefing	लघु-साक्षात्कार
Credentials	प्रत्यापक
Plagiarism	बौद्धिक चोरी
Practitioner	अभ्यासक
Refer	अग्रसारित
Supervisee	पर्यवेक्षी
Superviser	पर्यवेक्षक

© 2014, बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस दस्तावेज की व्यक्तिगत, शैक्षणिक या नीति-निर्माण के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक और/ या काग़ज पर प्रतिकृति की जा सकती है, लेकिन इन प्रतिकृतियों को लाभ या व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए प्रसारित नहीं किया जा सकता है। नियामक या अनुज्ञा के उद्देश्य के अलावा सभी प्रतिकृतियों के प्रथम पृष्ठ पर यह सूचना ज़रूर शामिल होनी चाहिए। उचित श्रेय देकर इस दस्तावेज का सारांश उद्धृत करने की अनुमति है, उचित श्रेय से तात्पर्य '© 2014, बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB), सर्वाधिकार सुरक्षित' है। इससे भिन्न दूसरे किस्म के सभी माध्यमों में इस दस्तावेज के वितरण के लिए बिहैवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड (BACB) अग्रिम लिखित अनुमति लेने की आवश्यकता है, जिसके संबंध में सूचनाएं info@bacb.com पर उपलब्ध हैं।